बरली की दुनिया

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर की मासिक समाचार पत्रिका

"मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरूष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सॉझी शक्ति द्वारा हिलाएं न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में ऊँची उड़ान असम्भव है।"

वर्ष –1 अंक 10 दिसम्बर 2007 मूल्यः 5 रू.

मानव अधिकार

महिला हो या पुरूष, बच्चा, जवान, बूढ़ा, किसी भी जाति या धर्म का हो, वह दुनिया में कहीं पर भी रहता हो, मानव परिवार का सदस्य होने के नाते हर एक के लिए कुछ अधिकार होते हैं। इन अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा में पहली बार खुलकर लिखा गया है और यह भी माना गया कि मानव अधिकार हर मानव के लिए हर जगह जरूरी हैं। भारत के संविधान में इन अधिकारों की रक्षा की ग्यारंटी दी गई है। यदि किसी के भी साथ इन अधिकारों को लेकर अन्याय हुआ है तो भारत के न्यायालय में इस पर कार्यवाही की जाती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1995 से 2004 तक मानव अधिकार दशक घोषित कर दिया था। इन दस सालों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन अधिकारों की जानकारी स्कूलों, कालेजों, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। इसका उद्देश्य इंसान को उसके मानव अधिकारों को लेकर जागरूक करना था। जब इंसान अपने अधिकारों को जान लेता है तो वह कभी भी अन्याय सहन नहीं करता है और वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इससे इंसान के अधिकारों की रक्षा होती है।

इसलिए आईए जानें ''बरली की दुनिया'' के इस अंक में हमारे मानव अधिकार क्या हैं? अगर हमारे मानव अधिकार कोई छीन लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? शिकायत करने पर कार्यवाही किस तरह से की जाती है। जिससे आप और हम अपने मानव अधिकारों की रक्षा करने में योगदान दे सकें।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जारी घोषणा पत्र

1948 में दुनिया के ज्यादातर देशों ने मिलकर बनाए हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र जारी किया। इसका उद्देश्य जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी लोगों के मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बढ़ाना व उनके प्रति सम्मान का भाव जगाना है।

इन्दौर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 'नई दुनिया' 9 दिसंबर 2007 के अंक के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा 30 अधिकार दिए गए हैं:–

(1) सभी इंसान स्वतंत्र है और उनके साथ स्वतंत्र इंसान की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।

(2) रंग, नस्ल, भाषा, लिंग, धर्म, विचारधारा आदि अलग अलग होने के बाद भी सभी इंसान समान हैं।

(3) हर इंसान को स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है।

(4) किसी भी तरह की गुलामी के लिए मनाही है।

(5) किसी को यातना देने की मनाही है।

(6) कानून के सामने सभी इंसान समान माने जाएँगे।

(7) सभी पर एक समान कानून लागू किया जाएगा।

(8) यदि किसी के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा तो उसे कानूनी सहायता लेने का अधिकार है।

(9) किसी को अन्यायपूर्ण तरीके से कैद नहीं किया जा सकता न ही अपने देश से निकाला जा सकता है।

(10) सभी को निष्पक्ष तथा सार्वजनिक मुकदमे का सामना करने का अधिकार है।

(11) दोषी सिद्ध होने तक हर इंसान को निर्दोष माना जाता है।

(12) बिना किसी ठोस कारण के किसी भी इंसान के निजी जीवन में दखल नहीं दिया जा सकता है।

(13) हर इंसान को अपनी इच्छानुसार देश में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है।

(14) अपने देश में सताए जाने पर हर इंसान को दूसरे देश में जाकर पनाह माँगने का अधिकार है।

(15) हर इंसान को एक देश का नागरिक होने का अधिकार है। यदि वह किसी दूसरे देश का नागरिक बनना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है।

(16) सभी को विवाह करने और अपना परिवार पालने का हक है।

(17) सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है।

(18) इंसान को अपने धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने का अधिकार है। यदि वह चाहे तो उसे अपना धर्म बदलने का भी अधिकार है।

(19) सभी को अपने विचार सभी के सामने रखने का अधिकार है।

(20) सभी लोगों को शांति से सभाओं में भाग लेने और संगठनों मे शामिल होने का अधिकार है।

(21) सभी को अपनी सरकार चुनने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

(22) सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा तथा अपने कौशल को विकसित करने का अवसर पाने का अधिकार है।

(23) हर इंसान को अधिकार है कि वह सुरक्षित वातावरण में उचित मजदूरी के बदले काम करे तथा मजदूर यूनियन का सदस्य बना रहे।

(24) हर इंसान को छुट्टी पाने और आराम करने का अधिकार है।

(25) हर इंसान को उचित जीवन जीने एवं बीमारी में इलाज के लिए सहायता पाने का अधिकार है।

(26) सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है।

(27) सभी को सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता का हक है।

(28) इन सभी अधिकारों को पाने के लिए जरूरी है सभी लोग सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करें।

(29) सभी लोगों को चाहिए कि वे दूसरे लोगों के अधिकारों, समुदाय तथा सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें।

(30) ऊपर लिखित अधिकार किसी से छीनने का अधिकार किसी को नहीं है।

इन अधिकारों में मानव के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को भी पहली बार शामिल किया गया है।

मानव अधिकार दिवस

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 10 दिसंबर 1948 को जब इन मानव अधिकारों की घोषणा की तबसे 10 दिसंबर का दिन 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाते हुए आज 57 साल हो गए है पर आज भी इंसान मानव के रूप में जीने के लिए अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहा है।

बहाई लेखों के अनुसार ''प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार प्राप्त है, आराम करने का और कुछ हद तक समृद्धि प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है। जैसे समृद्धिवान व्यक्ति सुख चैनपूर्ण वातावरण में तथा विलासिता से घिरा अपने महल में वास करता है, उसी प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति भी जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके। कोई भी भूख से न मरे, प्रत्येक को पर्याप्त मात्रा में वस्त्र उपलब्ध हों। किसी व्यक्ति को अत्याधिक प्राप्त न हो जबकि दूसरे के लिए अस्तित्व हेतु न्यूनतम आवश्यकता की प्राप्ति भी संभव न हो। आईए हम अपनी पूरी ताकत के साथ सुखद स्थिति लाने का प्रयत्न करें ताकि एक भी इंसान असहाय न रहे।''

इसका मतलब यह है कि हर इंसान को जीने का, आराम करने का और अमीर बनने का अधिकार है। सुविधाओं और आराम के साधन के साथ अमीर इंसान अपने महल में रहता है। उसी तरह गरीब इंसान को अपने जीवन की जरूरतों को जुटाने का अधिकार है। इस दुनिया में कोई भी इंसान भूख से न मरे। हर एक को पेट भर खाना मिले। हर इंसान को जरूरत के अनुसार कपड़ा मिले। कभी भी ऐसा न हो कि एक को बहुत सारी सुविधाएं और आराम मिल रहा हो और दूसरे के लिए

छोटी–छोटी जरूरतों को पूरा करना भी कठिन हो। सभी को अपनी कोशिश करना चाहिए कि हर इंसान को उसके हक का सब कुछ मिले। किसी के साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो। इस दुनिया में हर इंसान अपने अधिकारों का लाभ ले सके।

लेकिन सच यह है कि अभी भी यह अधिकार सभी को नहीं मिल पाए हैं। आज भी दुनिया भर में इंसान का अलग–अलग तरह से शोषण हो रहा है। बाल मजदूरी, बालिका का यौन शोषण, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बेकारी, अशिक्षा, गरीबी, दलित व आदिवासियों की हत्या, बंधुआ मजदूर आदि। कुछ उदाहरण हैं घर में, परिवार में, दफ्तर में, स्कूल में, फैक्टरी में।

आइए एक नजर देखें कि मानव अधिकार कहाँ और कैसे छिनते हैं इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :–

घर में– मानव अधिकार की शुरूआत घर से होती है लेकिन सबसे पहले घर में ही इन अधिकारों को खत्म कर दिए जाते हैं। महिलाओं को घर की इज्जत के नाम पर बहुत सारे बंधनों में रखकर उन पर घरेलू हिंसा की जाती है। महिला हिंसा के बारे में जानकारी बरली की दुनिया, मार्च 2007 के अंक में दी गई है।

बचपन में– बचपन जीवन की नींव है। बचपन में जब मानव अधिकार नहीं मिलते तो जीवन की नींव खत्म हो जाती है। बचपन से शिक्षा पाकर जीवन की यह नींव तैयार होती है। शिक्षा के बिना बच्चा हर प्रकार के ज्ञान से दूर रह जाता है इससे उसका जीवन बरबाद हो जाता है। बच्चों का शोषण और उनके अधिकार के बारे में जानकारी बरली की दुनिया, जुलाई 2007 के अंक में दी है।

समाज में – धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, नस्ल, आदि के नाम पर भेदभाव होता है, सताया जाता है। भारत में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर हिंसा आम बात है। भारत के अलावा भी एशिया से लेकर अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप में भी नस्ल व जाति के आधार पर भेदभाव के कारण मारकाट होती है।

रोजगार में– रोजगार पाना हर वयस्क इंसान का अधिकार है। रोजगार के नाम पर अत्याचार और सताना बराबर जारी है। आज भी लोग बंधुआ मजदूरी, कर्ज, भूख और गरीबी के जाल में फँसे हैं केवल कहने के लिए गुलामी प्रथा समाप्त हो गई है।

विकास के नाम पर– विकास का मतलब आगे बढ़ना है। विकास कभी रूकता नहीं है। विकास के नाम पर गरीब इंसान के घर तोड़े जाते हैं इससे परिवार बिखरते हैं। सड़क, पुल, बाँध हो या शॉपिंग मॉल इन्हें बनाने के पीछे उसका अपना घर, अपनी जमीन और कई बार उसकी अपनी कमाई का जरिया भी छीन लिया जाता है। जब वह अपना हक माँगने लगता है तो उसे विकास का विरोधी बताया जाता है।

बीमारी में – बीमारी में इलाज पाना हर इंसान का मूलभूत अधिकार हैं। इलाज के क्षेत्र में नये–नये खोज हो रहे है लेकिन आज भी मलेरिया, टायफाइड, डेंगू जैसी बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोग मर जाते हैं।

कानून के नाम पर– कानून लोगों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इस कानून के नाम पर लोगों को सताया जाता है। किसी भी अपराधी का दोष सिद्ध होने तक उसे निर्दोष ही माना जाता है परंतु इसके बावजूद जेल में या पुलिस के संरक्षण में कैदी का मरना आम बात हो गई है। जेल में यातना देना, सताना, एनकाउंटर यानी पुलिस के साथ मुठभेड़ के नाम पर योजना बनाकर हत्या की जाती है।

गरीबी में – मानव और उसके मानव अधिकारों के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार गरीबी है। गरीबी को खत्म किए बगैर मानव अधिकारों को सभी तक पहुँचाना संभव नहीं है।

मानव अधिकारों की रक्षा हेतु कुछ संस्थाएं

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया। इस आयोग में 53 देश हैं। इन देशों का चुनाव तीन साल के लिए किया जाता है। यदि इन देषों में किसी भी जगह रहने वाले इंसानों के मानव अधिकार छीनने की कोशिश की जाती है तो यह आयोग उन देषों के सरकारों व अधिकारियों से बातचीत करता है, समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उन पर अध्ययन करने के बाद समस्याओं को निपटाने के लिए नये नियम बनाता है। नियमों का पालन हो इसके लिए निगरानी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में षामिल सदस्य देष भी अपने देष में मानव अधिकारों को लेकर काम करते हैं। हमारा भारत देष षुरू से लेकर अभी तक मानव अधिकार आयोग का सदस्य देष के रूप में काम कर रहा है।

भारत में मानव अधिकार आयोग

भारतीय संविधान में भारत के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 बनाया गया है। इस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग’ बनाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होता है।

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की

व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पताः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

13 सितम्बर 1995 को 'मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग' बनाया गया है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग' का मुख्य कार्यालय भोपाल में है। हमारे राज्य में कहीं पर भी किसी इंसान के मानव अधिकार छीन लिए जाते हैं या छीनने की कोशिश की जाती है, अधिकार भंग करने के लिए उकसाया जाता है तो मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। इसका पता नीचे दिया गया है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग,
बी 6, श्यामला हिल्स, पर्यावास भवन, खण्ड–1,
अरेरा हिल्स, जेल रोड भोपाल (म. प्र.)

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2001 में यहाँ भी मानव अधिकार आयोग बनाया गया। छत्तीसगढ़ की समस्याओं के लिए नीचे दिए गए पते पर शिकायत भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग,
डी. के. एस भवन,
मंत्रालय के पास, रायपुर, 492001 (छत्तीसगढ़)

शिकायत भेजते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जिसका अधिकार छीना गया है वह या उसका रिश्तेदार या मित्र आयोग को पत्र लिखकर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत साधारण कागज पर लिखकर डाक, तार, कोरियर अथवा फैक्स के द्वारा सीधे आयोग के कार्यालय को भेज सकते है। शिकायत करने के लिए वकील की जरूरत नहीं है। शिकायत करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। शिकायत पत्र पर स्टाम्प (टिकिट) नहीं लगता न ही स्टाम्प पेपर पर लिखने की जरूरत है। शिकायत किसी भी भाषा में लिखकर भेजी जा सकती है लेकिन अपने प्रदेश के लिए हमें शिकायत हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में स्पष्ट षब्दों में लिखकर या टाइप करवाकर भेजी जाना चाहिए। शिकायत में समस्या को स्पष्ट रूप में लिखें, जैसे– जिस इंसान के मानव अधिकार छीनने की कोशिश की गई है या मानव अधिकार को भंग करने के लिए उकसाया गया हो। उस इंसान का नाम, पता, दिन और दिनांक, घटना कहाँ घटी है, क्या हुआ है और गवाह कौन है आदि लिखकर भेज देंवे।

राज्य मानव अधिकार आयोग को शिकायत तुरंत भेज देनी चाहिए क्योंकि आयोग के पास एक साल बाद घटना की शिकायत दर्ज की जाए तो आयोग सुनवाई नहीं करता। देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो हमें राज्य मानव अधिकार के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों पर सुनवाई नहीं की जाती है। किसी भी राज्य के आयोग में दर्ज मामले पर भी आयोग में सुनवाई नहीं की जाती है। शिकायत अधूरी हो, शिकायत समझ में नहीं आ रही हो तो भी सुनवाई नहीं की जाती है। शिकायत करते समय शोभनीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए।

शिकायत आयोग के पास पहुँचने के बाद आयोग के रजिस्टर में लिख लिया जाता है। उसके बाद वह केस या मामला कहलाता है। आठ दिन के अंदर राज्य के मानव अधिकार आयोग के कार्यालय में चुने हुए सदस्यों के सामने सुनवाई के लिए मामला रखा जाता है। मामले की सुनवाई करते समय आयोग दोनों पक्षों की बात को सुनता है। सुनवाई के दौरान मुकदमे से संबंधित गवाहों को बुलाता है और किसी भी तरह का प्रमाण, कागज या जानकारी को आयोग के सामने रखने का आदेश देता है। आयोग के निर्णय के बाद दोनों पक्षों में से किसी को भी लगता है कि अन्याय हुआ है तो वे आयोग से ऊपर के दर्जे के कोर्ट में जाकर न्याय की माँग कर सकते है।

मानव अधिकार आयोग के पास लोग पहुँचे और अपने अधिकारों की माँग करें। इसके लिए आयोग द्वारा किताबों, पत्र–पत्रिकाओं, टी. वी., रेडियो या अन्य संचार माध्यमों तथा सभाओं, सम्मेलनों के द्वारा मानव अधिकारों के बारे में लोगों बताया जाता है। आयोग जेल, अस्पताल, सुरक्षा गृह का निरीक्षण करता है, पुलिस के संरक्षण में किसी इंसान के मानव अधिकारों को छीने जा रहे हो तो आयोग पुलिस लॉक–अप, जेल में सुधार करवाता है। पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाए, बलात्कार या सताया जाए तो मदद दिलाता है। सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी को पेंशन दिलवाता है। महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने की कोशिश आयोग द्वारा की जाती है। स्कूलों में शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था एवं बस्ते का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है।

महिला आयोग

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग में महिला और पुरूष को बराबरी का अधिकार दिया है। जिसके बारे में हम इस अंक में पढ़ रहे हैं। महिला के मानव अधिकार छीने जाने पर वह इस आयोग में जाकर न्याय की मांग कर सकती है। फिर प्रश्न यह उठता है कि महिला आयोग क्यों?क्योंकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के अध्ययनों में पाया गया कि किसी भी तरह का निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है चाहे

वह घर हो या बाहर। वह महिला है इस कारण उसके साथ भेदभाव किया जाता है। किसी न किसी रूप में महिला हिंसा और महिला शोषण आज भी जारी है। जिसके कारण वह विकास के किसी भी तरह के कामों में पूरा योगदान नहीं दे पाती है। आज भी महिला को पुरूष के समान समाज में हक और अवसर नहीं दिए जाते है जिसका परिणाम महिला अशिक्षा, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं, गरीबी, शारीरिक उत्पीडन, मानसिक उत्पीडन आदि के कारण वह दबी रही, कमजोर बनी रही। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी है। जब दुनिया की आधी आबादी विकास में योगदान नहीं दे पाएगी तो दुनिया का विकास का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस विषय की ओर ध्यान देने के लिए और समस्या को पूरी तरह खत्म कर महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाने, महिला भी इंसान है उसके साथ लिंग यानी महिला है इसके कारण होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए महिला आयोग बनाया है। यह आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के राज्यों मे राज्य स्तर पर महिलाओं के संरक्षण के लिए है। इस महिला आयोग के बारे में 'बरली की दुनिया' फरवरी 2008 के अंक में जानकारी लेंगे।

संस्थान के समाचार

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में एच. आई. वी. /एड्स जागरूकता कार्यक्रम

1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स दिवस संस्थान में ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के बीच मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर ललिताम्बा सेवानिवृत आचार्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ने कहा है जीने के लिए स्वस्थ मन व शरीर की जरूरत होती है। भारतीय जीवन में दो शब्दों का प्रयोग होता है, अंतःशुद्धि व बाह्यशुद्धि। स्वस्थ मन व शरीर के लिए दोनों षुद्धियों का होना जरूरी है। संस्थान के पाठ्यक्रम इन शुद्धियों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। संस्थान में वातावरण और व्यवहार की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है। हम और आप शुद्धता और संयम से ही एड्स जैसे रोगों को दूर रख सकते हैं।

संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन ने मेहमानों और प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया और कहा एड्स एक भयानक बीमारी है और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। गाँव के लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में जाकर बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रहते है। ऐसे में बहुत सारी संक्रामक बीमारियाँ होने की संभावना रहती है। बहुत बार महिलाओं के साथ जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित किया जाता है। जवान लड़के–लड़कियाँ वासना का शिकार होते हैं और जीवन को नर्क बना लेते हैं। इन सबसे बचने का रास्ता हैं संयम और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। पवित्र ग्रंथ गीता में हमें संयम रखने की शिक्षा दी गई है। नैतिक और आध्यात्मिक सीख ही सही राह दिखाती है। इसलिए हमारे हर काम में नैतिकता होनी चाहिए। पति–पत्नी एक आत्मा और दो शरीर के समान है। विवाह के अंदर दोनों साथियों को एक दूसरे के साथ वफादार रहना चाहिए, रिश्ते में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हमें जीवन में संयम और वफादारी को अपनाते हुए चलना चाहिए तभी हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। एच. आई. वी. से बचने के लिए हमें हर बार डिस्पोजल सीरिंज, जाँचा हुए खून का उपयोग और सुरक्षित और पवित्र रिश्तों में विश्वास का होना जरूरी है। अगर किसी को एच. आई. वी. संक्रमण हो तो उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. गुंजन तनेजा, इन कम्युनिटी मेडीसिन, एम. जी. एम. कॉलेज इंदौर ने पावर प्वांइट के द्वारा एड्स विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एड्स होने के कारणों में असुरक्षित यौन संबंध से फैलाव ज्यादा है। संक्रमित सुई से फैलाव 3.5 प्रतिशत होता है। इस अवसर पर एच. आई. वी. /एड्स के लक्षण, कारण व बचाव, एड्स और एच. आई. वी. में अंतर, रोकथाम, एच. आई. वी., प्रतिरक्षण को किस तरह से कमजोर बनाता है, इससे जुड़ी गलत व सही मान्यताओं की पहचान व एच. आई. वी. पीड़ित रोगी के इलाज के बारे में चर्चा की गई। डॉ. गुंजन ने इलाज में परामर्श, स्त्री–पुरुष समानता, संयम, नैतिकता आदि बातों को अपनाने पर जोर दिया।

पीड़ित हैं
विश्वएड्सदिवस 1दिसंबर 2007
rld AIDS Day
December 2007

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के धार, झाबुआ, खरगोन, देवास, बड़वानी व उत्तरप्रदेश के वृन्दावन, बिहार के नालंदा जिले की 50 महिलाएँ जागरूकता कार्यक्रम में शामिल थीं। उन्होंने बहुत ही गंभीरता और रूचि के साथ विषय को सुना। इसमें से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों ने पहली बार इस विषय को सुना है।

छत्तीसगढ़ विस्तार केंद्र में विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम

1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स दिवस, विस्तार केंद्र

भण्डारीपारा, कांकेर में मनाया। कार्यक्रम बरली विस्तार केंद्र समिति के सदस्य, प्रशिक्षक, प्रशिक्षणार्थी, कोमलदेव अस्पताल, कांकेर के श्री चंद्रशेखर राव सलाहकार, एच. आई. वी “एड्स” व पैथोलाजी से डॉ. एम. के मरकाम उपस्थित थे। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि एच. आई. वी. “एड्स” का कोई इलाज नहीं है, जानकारी, संयम और समझदारी ही इसका बचाव है। पहले महिलाएं घर से बाहर जाने के लिए झिझकती व शरमाती थीं लेकिन अब जागरूकता व साहस के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि “बरली विस्तार केन्द्र भण्डारीपारा का काम सराहनीय है। इस केन्द्र के माध्यम से समाज में संदेश देना उनके लिए सुगम हो गया है। एच. आई. वी “एड्स” सलाहकार श्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि संस्था महिलाओं को सशक्त कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान दे रही है। यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। एक लड़की शिक्षित होती है तो वह पूरे समाज को शिक्षित करती है। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य से संबधित जानकारी व सलाह के लिए कोमलदेव अस्पताल सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। केन्द्र की प्रभारी कु. लता यादव ने कहा कि एच. आई वी. /एड्स के बारे में हमें खुलकर बात करनी चाहिए। यदि किसी को एच. आई. वी. है तो उस इंसान से प्रेम व अपनापन रखना चाहिए, छुआछूत का व्यवहार नहीं होना चाहिए। भण्डारीपारा, कांकेर की पार्षद श्रीमती आरती यादव ने कहा कि यह केन्द्र गाँव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा उनके हाथों में कला व हुनर देकर बहुमूल्य सेवा दे रहा है। एच. आई. वी./एड्स के प्रति महिलाओं व बालिकाओं में जागरूकता ला रहा है यह प्रयास बहुत ही प्रभावी है अगर महिलाओं को इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी तो वे अपने परिवार व समाज में सुधार कर पाएंगी। विस्तार केन्द्र समिति के अध्यक्ष श्री धुलजी रावल ने कहा कि विस्तार केन्द्र प्रशिक्षण के साथ महिलाओं में एच. आई. वी./एड्स की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं यह प्रयास सराहनीय है। विस्तार केन्द्र समिति के सदस्य श्री मोतीरामजी यादव ने सभी को संदेश दिया कि हमें एच. आई. वी. के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हमें हर तरह की शिक्षा लेने के लिए तैयार होना चाहिए जिससे हम हर नई जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम का संचालन कु. सोनवती नेताम व आभार कु देवबती यादव ने किया। प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण के अपने अनुभव सुनाए। श्रीमती ललिता पटेल ने एड्स पीड़ित इंसान के लिए परिवार और समाज की भूमिका, श्रीमती नीरा यादव एच. आय. वी./एड्स का मतलब, कु भावना ने एच. आय. वी. के संक्रमण का फैलाव, श्रीमती सरिता ने एच. आय. वी. और एड्स में अंतर, कु संगीता ने एड्स की रोकथाम, कु. भुवनेश्वरी, श्रीमती पुष्पलता और श्रीमती अनिता रजक ने प्रतिरक्षण पर आक्रमण, एच. आई. वी. की पहचान, प्रशिक्षण के अनुभव आदि के बारे में बताया। इस अवसर पर संस्थान में बनाए एड्स के पोस्टरों की सहायता से एच. आई. वी./एड्स की जानकारी दी भी दी गई जिसे सभी लोगों ने सराहा।

बरली ग्रामीण महिला विस्तार केन्द्र
“ भंडारीपारा, कांकेर ”
विश्व एड्स दिवस
WORLD AIDS DAY

छत्तीसगढ़ विस्तार केन्द्र की गतिविधियाँ

30 व 31 दिसंबर 2007 को संस्थान के विस्तार केन्द्रों की गतिविधियों को देखने के लिए स्वीडन की श्रीमती इशराक, श्रीमती नोगोल, श्री राहमीन व संस्थान की कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अर्चना मारगोनवार ने छत्तीसगढ़ के विस्तार केन्द्रों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य तीनों विस्तार केन्द्रों की गतिविधियों का अवलोकन करना था। यह विस्तार केन्द्र 18 मई 2006 से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

भण्डारीपारा के पेराडाईज स्कूल परिसर में दो विस्तार केन्द्र एवं एक इमलीपारा में चलाया जा रहा है। एक केन्द्र कु. लता यादव (जो केन्द्र की प्रभारी भी है) चलाती है। दूसरा केन्द्र कु. सत्या कुंजाम और तीसरा केन्द्र

कु. लता यादव

कु. सत्या कुंजाम

कु. सोनवती

कु. सोनवती चलाती है। इन तीनों प्रशिक्षिकाओं की मदद के लिए तीन सहायिका कु. देवबत्ती यादव, कु. सरिता यादव और श्रीमती संतोषी यादव काम करती हैं। ये सभी विस्तार केन्द्रों में काम करके खुश हैं। इनका परिवार भी केन्द्र के काम से खुश हैं और वे इनकी मदद भी करते हैं।

इन कक्षाओं में 'कटाई–सिलाई', 'स्वास्थ्य शिक्षा' और 'मेरा अपना और अपने समुदाय का विकास' विषय पढ़ाए जाते हैं। कांकेर के एक केन्द्र में कम्प्यूटर शिक्षा दी जाती है। यह कक्षाएं सप्ताह मे छह दिन लगती हैं। इन कक्षाओं में एच. आय. वी/एड्स विषय की जानकारी भी दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों से भेंट के दौरान पाया गया कि सभी प्रशिक्षणार्थियों को एच. आय. वी. की जानकारी है और उन्होंने इस विषय के हर पहलू को बोलकर बताया। भण्डारीपारा के केन्द्र से ईश्वरी, मीरा, ललिता और अनिता रजक ने एच. आय. वी./एड्स के कारण, रोकथाम, एच. आय. वी/एड्स को लेकर, होने वाले भेदभाव, एच. आय. वी पीड़ित इंसान के साथ व्यवहार पर जानकारी दी।

इन केन्द्रों में कोडेजुंगा, मनकेशरी, शीतलापारा, इच्छापुर, श्रीरामनगर, इमलीपारा आदि गाँवों से महिलाएं प्रशिक्षण लेने आती हैं।

विस्तार केन्द्रों की प्रशिक्षिकाएं इन कक्षाओं के अलावा भी समुदाय में गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए 'स्वास्थ्य शिक्षा', किशोरों के लिए किशोर सशक्तिकरण, युवाओं के लिए 'व्यक्तित्व विकास' की कक्षाएं तथा बच्चों के लिए 'नैतिक शिक्षा' की कक्षाएं लेते है। भण्डारी पारा के सांस्कृतिक भवन में चल रही किशोर सशक्तिकरण कक्षा में प्रशिक्षणार्थी 'संपुष्टि की सुरभी' किताब को पढ़ते हैं। प्रशिक्षणार्थी कक्षा में आकर बहुत खुश हैं और वे किशोर सशक्तिकरण की सभी किताबें पढ़ना चाहते हैं।

बेवरती में नैतिक शिक्षा की कक्षा में 3 से 10 साल की उम्र के बच्चे थे। इस कक्षा के लिए 'हरी शाखाएं' किताब का उपयोग किया जाता है। कोडेजुंगा गाँव की आंगणवाड़ी में चल रही स्वास्थ्य शिक्षा की कक्षा देखी और गाँव की सरपंच श्रीमती ममता नेताम से मुलाकात की। इनकी दो बहने भण्डारीपारा में प्रशिक्षण लेने जाती हैं। वे कक्षाओं को लेकर बहुत सकारात्मक थी। मनकेशरी के आंगणवाड़ी में प्रषिक्षण ले रही महिलाएं स्वास्थ्य कक्षा में विषेष रूचि ले रही हैं।

कोडेजुंगा आंगनवाणी केन्द्र की गतिविधियाँ

टीम ने विस्तार केन्द्र के कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की। कमेटी के सभी सदस्य मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में कमेटी के अध्यक्ष यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे किस तरह विस्तार केन्द्र की प्रगति के लिए काम कर सकते हैं। चर्चा के दौरान प्रशिक्षिकाओं ने कहा कि वे किशोर सशक्तिकरण की सभी किताब पढ़ना चाहती हैं ताकि वे एक समूह के साथ लंबे समय तक काम कर सकें। विस्तार केन्द्र की प्रभारी ने बताया कि यह केन्द्र 18 मई 2006 से शुरू हुआ है तब से लगातार उन्होंने इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का काम किया है। शुरू के नौ महिने यह केन्द्र बेवरती और मोहपुर में काम करता रहा। इस साल से यह केन्द्र कांकेर के पेराडाईज स्कूल परिसर भण्डारीपारा में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के अलावा भी वे अन्य गतिविधियाँ समुदाय में चलाती हैं। जैसे प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए नैतिक कक्षाएं, किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम, आंगणवाड़ी में महिलाओं के लिए 'स्वास्थ्य की कक्षाएं', मिडिल और हाईस्कूल में 'मेरा अपना और अपने समुदाय का विकास' आदि। बच्चों की 'नैतिक कक्षाओं' के अलावा इन सभी कक्षाओं में एच. आय. वी./ एड्स की जानकारी दी जाती हैं।

भंडारीपारा विस्तार केन्द्र में प्रषिक्षण लेती बहनें

इस भेंट में श्रीमती नोगोल ने प्रशिक्षण ले रही पाँच प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात की। सभी प्रशिक्षणार्थी केन्द्र में प्रशिक्षण लेकर बहुत खुश हैं। वे उनमें आए बदलाव को महसूस करते हैं। सभी प्रशिक्षणार्थी मौका मिलने पर संस्थान में काम करना चाहते हैं।

छत्तीसगढ़ की गतिविधियों को देखने के बाद श्रीमती इशराक, श्रीमती नोगोल और श्री राहमीन ने चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रषंसा की। श्रीमती इशराक ने कहा कि, ''छत्तीसगढ़ विस्तार केन्द्र का काम उल्लेखनीय है। विस्तार केन्द्र की कमेटी का व्यवहार सकारात्मक व सहायक है। कमेटी ने गाँव स्तर पर 'एड्स' विषय की जानकारी देने के लिए सरकारी 'एड्स' विषय के सलाहकार को भी शामिल किया है।''

श्रीमती नोगोल ने कहा, ''उनका उत्साह और कार्य क्षमता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई जिसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। इस अल्प काल की भेंट में मैं खासकर युवाओं, बच्चों और इस क्षेत्र के पाँच गाँव में चल रहे अलग–अलग गतिविधियाँ देखकर बहुत प्रभावित हुई हूँ. । विस्तार केन्द्रों में से एक गाँव की सरपंच ने प्रशिक्षिकाओं द्वारा समुदाय में लाए गए सकारात्मक बदलाव की प्रशंसा की। हम कोडेजुंगा गाँव गए वहाँ की स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सरपंच ने हमें बताया कि इस क्षेत्र में विस्तार केन्द्रों के प्रयास से बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम में ज्यादा लोगों ने भाग लिया। कांकेर भण्डारीपारा में मैंने 'कटाई–सिलाई' का प्रशिक्षण ले रही प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की उन्होंने कहा कि, वे समुदाय में सेवाएं देने और केन्द्र में प्रशिक्षिका के रूप में काम करने के लिए तैयार है। वे सब एक है।'' श्रीमान राहमीन भी विस्तार केन्द्र के काम को देखकर से प्रभावित हुए हैं।

भंडारीपारा में प्रषिक्षणार्थियों से चर्चारत श्रीमती नोगोल एवं सुश्री अर्चना

संस्थान में आए मेहमान

- लखनऊ में आक्सफेम की कार्यक्रम अधिकारी कु. जसवीन अहलुवालिया ने संस्थान में रहकर यहाँ के स्टाफ और प्रषिक्षणार्थियों के साथ रहने का एक अनूठा अवसर था। आषा करती हूँ कि मैं भी जल्दी आपके साथ सेवा दे पाऊँ।
- इजरायल में बहाई विष्व केन्द्र में 'विष्व बहाई समाचार सेवा' में सेवारत श्रीमती सेली वीकर ने कहा कि वे यहाँ के प्रभावशाली काम के बारे में लिखना चाहती हैं जो दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा देता रहेगा।
- श्री अरूण सिन्हा, ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली के भूतपूर्व वार्ताकार ने कहा कि अपने तन, मन का कतरा–कतरा देकर ग्रामीण व आदिवासी ग्रामीण महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित कर जिस संस्था के विकास का संकल्प भारत की एक नारी ने लिया वह आज अपने आप में एक संस्था बन चुकी नजर आती है। जो प्रसन्नता के साथ–साथ ईश्वरीय सहायता की शक्ति की अनुभूति भी सहज हो जाती है, महिलाओं के उत्थान के लिए नींव डाली जा रही है वह भविष्य में अपने इतिहास का आधार बनायेगी।

संस्थान की निदेशिका प्रबंधकारिणी समिति में

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान, महू, के षासी निकाय प्रबंधन समिति तथा एकेडेमिक परिषद में संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन को दो वर्ष के लिए सदस्य नामांकित किया गया है।

प्रिंटेड मैटर–बुक पोस्ट

पता

____

____

____

____

विशेष सूचना

प्रशिक्षण लेकर आप स्वयं के लिए, अपने परिवार और अपने गाँव के लिए जो भी काम कर रहे हों, हमें जरूर लिखकर भेजें ताकि आपके समाचार ''बरली की दुनिया'' में छाप सकें।

संपादक ''बरली की दुनिया''
बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान
180, भमोरी, न्यू देवास रोड़,
इंदौर–452010 (म.प्र.) फोन : 0731–2554066

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की ओर से बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, 180 भमोरी, न्यू देवास रोड़, इन्दौर – 452010 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
मुद्रण स्थल : राजा ऑफसेट, 863/9,नेहरूनगर, इन्दौर द्वारा मुद्रित **संपादक : डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन**